संख्या– /XVIII(II)/2018–01(14)/2017

प्रेषक,

बी0एम0 मिश्र,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनाकः 12 जून, 2018

विषय– चौ0 चरण सिंह मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट, हेड आफिस कृष्णाधाम, गली नं0–20, कृष्णा नगर रूड़की, हरिद्वार को शैक्षणिक प्रयोजन हेतु ग्राम लाव्वा मुस्तकम, तहसील, भगवानपुर, जनपद, हरिद्वार में खाता संख्या–23 के खसरा नम्बर–435, रकवा 0.3860 है0 तथा खाता संख्या–85 खसरा संख्या–437 रकवा–0.2493 है0 भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1185/जिला भूमि व्यव0–2017, दिनांक 19 अगस्त, 2017, पत्र संख्या–1390/जि0भू0व्य0सहा0/2017, दिनांक 28 सितम्बर, 2017 तथा पत्र संख्या–474/जि0भू0व्य0सहा0/2017, दिनांक 25 मई, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चौ0 चरण सिंह मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट, हेड आफिस कृष्णाधाम, गली नं0–20, कृष्णा नगर रूड़की, हरिद्वार को शैक्षणिक प्रयोजन हेतु ग्राम लाव्वा मुस्तकम, तहसील भगवानपुर, जनपद, हरिद्वार में खाता संख्या–23 के खसरा नम्बर–435, रकवा 0.3860 है0 तथा खाता संख्या–85 खसरा संख्या–437 रकवा–0.2493 है0 भूमि क्रय की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

2– उक्त के परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर पर लिए गये निर्णय के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चौ0 चरण सिंह मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट, हेड आफिस कृष्णाधाम, गली नं0–20, कृष्णा नगर रूड़की, हरिद्वार को शैक्षणिक प्रयोजन हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग की संस्तुति के दृष्टिगत उत्तराखण्ड (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001 (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा–154(4)(3)(क)(I)(III)के अन्तर्गत भूमि क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– क्रेता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– संस्था द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का आवश्यक विवरण/संबंधित अभिलेख जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त कर भूमि क्रय की अनुमति के संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जाएगी।

4– क्रेता द्वारा क्रय की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया

...2

जायेगा, उसी प्रयोजन (शैक्षणिक प्रयोजनार्थ) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण

करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

6– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

7– शासन द्वारा दी गई भूमिक्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

8– प्रस्तावित भूमि का उपयोग संस्था द्वारा शैक्षणिम प्रयोजनार्थ हेतु ही किया जायेगा तथा इससे भिन्न कार्यो हेतु यदि भूमि का उपयोग किया जाता है तो उक्त भूमि राज्य सरकार में निहित कर ली जायेगी एवं संस्था के विरूद्ध विधिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

9– किसी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नही होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो, इसके लिए भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

10– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नही होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

11– नियमानुसार योजना प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विभागो/संस्थाओं से विधिक व अन्य औपचारिकतायें/अनापत्तियां प्राप्त कर ली जायेंगी।

12– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।

13– उक्त आवंटित भूमि पर निर्मित भवन निर्धारित मनकों, भूकम्प विरोधी, सोलिड वेस्ट मैंनेजमेंट, रेन वाटर हारवेस्टिंग, सौर ऊर्जा आदि सुविधाओं को सुनिश्चित किया जायेगा।

14– सम्बन्धित संस्था द्वारा प्रस्तावित योजना को प्रारम्भ करने से पूर्व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन0जी0टी0) से शून्य आधारित (Zero based) अनापत्ति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

15– सम्बन्धित संस्था द्वारा जलोत्सारण (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट) हेतु निर्धारित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16– जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित भूमि के मध्य व किनारे चेक रोड़, नाला तथा राज्य सरकार की अवशेष भूमि आदि होने अथवा न होने की स्पष्ट सूचना/विवरण शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

17– संस्था के द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के मानकों एवम् अन्य प्रभावी नियमों/विनियमों के अनुरूप आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की घोषणा पत्र दिया जायेगा।

...3

18– उपरोक्त शर्तो/प्रतिबन्धो का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से जिसे शासन उचित समझता है, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बी0एम0 मिश्र)
अपर सचिव।

संख्या–864/XVIII(II)/2018, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, देहरादून।
4– प्रबन्धक/सचिव, चौ0 चरण सिंह मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट, हेड आफिस, कृष्णा धाम, कृष्णानगर, रूड़की, हरिद्वार।
5– निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
6– प्रभारी, मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी0एम0 मिश्र)
अपर सचिव।